

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 559/2012/बांसवाडा
अपील संख्या 560/2012/बांसवाडा
अपील संख्या 561/2012/बांसवाडा
मैसर्स जगदम्बा मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट प्रा.लि.
बांसवाडा

प्रार्थी

बनाम

उपायुक्त(अपील्स)
वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर

अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित:

श्री अंजनी त्रिवेदी
सी.ए.
श्री एस.के. उपाध्याय
सहायक आयुक्त

प्रार्थी की ओर से

अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 10.03.2014

निर्णय

उपरोक्त तीनों अपीलें प्रार्थी व्यवसायी की ओर से उपायुक्त (अपील) वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील 124/सीएसटी/10-11 एवं अपील संख्या 98/वैट/10-11 एवं व 99/सीएसटी/10-11 में पारित संयुक्तादेश दिनांक 16.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-बांसवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 संपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 23, 24, 55 एवं 58 के अन्तर्गत वर्ष 2007-2008 (सीएसटी)वर्ष 2008-09 (सीएसटी एवं आरवैट) के कर निर्धारण क्रमशः आदेश दिनांक 26.03.2010 एवं 13.12.2010 को पारित करते हुए निम्न तालिका के अनुसार कर ब्याज एवं शास्तियों आरोपित की हैं :-

अपील सं.	कर निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
559/12/सीएसटी	2007-08	16038/-	31,567/-	120/-
560/12/आरवैट	2008-09	8179/-	12280/-	130/-
561/12/सीएसटी	2008-09	71,588/-	—	—

उक्त आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि करते हुए अपीलें अस्वीकार कर संयुक्तादेश दिनांक 16.12.2011 पारित किया, जिससे दुख होकर अपीलार्थी व्यवहारीकी ओर से ये तीनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

-2-अपील संख्या 559, 560 व 561/2012/बांसवाडा

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी राजस्थान इनवेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम, 2003 के अन्तर्गत डेफरमेन्ट का लाभ प्राप्त कर रहा है, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई.टी.सी.का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि आई टी सी.भी कर की श्रेणी में आता है। डेफरमेन्ट पर लाभ नहीं दिये जाने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करते हुए अपीलें अस्वीकार की है।

प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से विद्वान सी.ए. ने कथन किया कि राजस्थान इनवेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम, 2003 के अन्तर्गत डेफरमेन्ट का लाभ प्राप्त कर रहा है, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई.टी.सी.का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि आई टी सी.भी कर की श्रेणी में आता है। उन्होंने आई.टी.सी. का लाभ देने का प्रावधान अधिसूचना क्रमांक एफ.4(18)/एफडी/टैक्स-डिवी./2001 दिनांक 10.10.2008 के द्वारा स्पष्ट किया गया है। अतः उन्होंने आई टी सी का लाभ दिलाने का निवेदन करते हुए अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान सहायक आयुक्त ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि उक्त योजना के अनुसार निर्धारित कर राशि में से आगत कर (इनपुट) राशि को घटा कर शुद्ध भुगतान योग्य राशि नियमानुसार डेफर करने का प्रावधान है किन्तु जांच पर पाया गया कि व्यवसायी/कम्पनी द्वारा इनपुट राशि को नहीं घटाया जाकर देय कर राशि पर डेफर किया है, जो नियम विरुद्ध है। उनका यह भी कथन है कि डेफरमेन्ट योजना के अनुसार कर की देयता को डेफर किया जाना होता है न कि बनने वाले कर पर। नगद भुगतान (आगत कर कम करने की उपरान्त) पर ही डेफरमेन्ट का लाभ देय है। व्यवसायी द्वारा देय कर राशि पर डेफर लिया है, जो नियम विरुद्ध होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अमान्य किया गया है, जो पूर्णतः विधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।


उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों का अवलोकन किया गया है। प्रकरणों में विवादित प्रश्न के निराकरण हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ.4(18)/एफडी/टैक्स-डिवी./2001 दिनांक 10.10.2008 को उद्धृत किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

" In case of unit availing benefit of deferment of tax, part of tax payable is deposited by the unit and part of it is deferred for stipulated period which is paid later on in installments. In such cases it is clarified that the amount of subsidy shall be divided in proportion to the tax payable under sub-section(1) of section 20 of RVAT Act, 2003 and the amount of tax deferred under sub-section(3) of section 20 of RVAT Act, 2003. The proportionate amount of subsidy shall be allowed against the tax payable under sub

The proportionate amount of subsidy shall be allowed at the time of deposit amount of deffered tax under sub-section(3) of section 20 of RVAT Act, 2003

अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन संयुक्तादेश में उपरोक्त अधिसूचना को उद्धरित अंकित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की है, जो इस पीठ की दृष्टि में उचित है। फलतः अपीलाधीन संयुक्तादेश को यथावत रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य